पत्रावली का लोक अदालत हेतु चयन
किया गया, पक्षकारान को नोटिस
जारी हो पत्रावली दिनांक 15-5-18
केम्प खैरूला को पेश हो।

15/5/18

पत्रावली लोक अदालत केम्प खैरूला में पेश हुई। प्रतिवादी नं0 2 उपस्थित। प्रतिवादी नं0 2 को मजमें आम में सुना गया। प्रतिवादी नं0 2 ने कथन किये कि वादी मेरा पुत्र है तथा वादी द्वारा वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण वास्ते खातेदारी घोषण एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया। वादी ने जिस भूमि में खातेदारी घोषणा चाही है उक्त भूमि मेरें पिताजी को आवंटित हुई थी, जबकि वादी ने यह कहते हुए वाद दायर किया है कि उक्त भूमि पुश्तेनी भूमि है। जबकि उक्त विवादित भूमि ख0नं0 379/1 रकबा 1.60 हे0, ख0नं0 379 मि0 2 रकबा 0.05 हे0, ख0नं0 411 रकबा 0.29 हे0 भूमि वाके ग्राम सनीजा बावडी तहसील दीगोद मेरें पिताजी को नियमानुसार आवंटित हुई थी तथा गैरखातेदारी पश्चात् खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। उक्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी नं0 1 की खातेदारी में दर्ज है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। वर्तमान में उक्त भूमि मेरी खातेदारी में नहीं है, जिससे वादी को उक्त भूमि में खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है।

पत्रावली का मजमे आम में अवलोकन किया तथा उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य पर विधिक विचारण करनें के उपरान्त प्रतिवादी नं0 2 द्वारा उल्लेखित कथन की पुष्टि होती है। विवादित आराजी पूर्व में वादी के दादा एवं प्रतिवादी नं0 2 व 3 के पिता को आवंटित हुई थी। उक्त भूमि पर इंतकाल नं0 37 से खातेदारी अधिकार दिये गये, जिसकी छायाप्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। जिससे उक्त भूमि को वादी की पुश्तेनी भूमि नहीं माना जा सकता, अपितु उक्त भूमि प्रतिवादी नं0 1 की आवंटित भूमि है, जिसे स्वअर्जित भूमि माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में जब वादी के पिता को उक्त भूमि में वर्तमान में कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुए है, तो वादी को खातेदारी अधिकार दिया जाना भी न्यायोचित नहीं पाया जाता है। लिहाजा वाद वादी पोषणीय नहीं होनें से खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प खैरूला

उनवान

शिवप्रकाश पुत्र परमानन्द जाति मेघवाल निवासी सनीजा बावडी हाल मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–वादी

बनाम

1. मोतीलाल पुत्र मांगीलाल (मृतक)
2. परमानन्द पुत्र मोतीलाल
3. राजेन्द्र पुत्र मोतीलाल जाति मेघवाल निवासी सनीजा बावडी तहसील दीगोद जिला कोटा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–188 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर– 25/12

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ''वाद वादी पोषणीय नहीं होनें से खारिज किया जाता है।'' तद्नुसार अंतिम डिकी जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 15.05.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
थमलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner